



2026:AHC:61024

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 1314/2026

ललित कुमार

:आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

:प्रतिपक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: विजित सक्सेना

प्रतिपक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, यशवंत सिंह

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला.

1. आज दाखिल अनुपूरक हलफनामा अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विजित सक्सेना, मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री यशवंत सिंह की ओर से उपस्थित श्री देवेंद्र विक्रम सिंह, और राज्य की ओर से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता श्री जी.पी. सिंह को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र वाद अपराध संख्या 29/2026, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता, 2023, थाना – महारौनी, जनपद – ललितपुर में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक को इस वाद में झूठा फँसाया गया है। मृतक ने अज्ञात कारणों से आत्महत्या की है तथा ग्राम की गुटबंदी के कारण आवेदक को अभियुक्त बनाया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को यथावत मान लेने पर भी आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध सिद्ध नहीं होता। यह भी निवेदन किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रस्तुत कथन को उसके प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करने पर भी आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध स्थापित नहीं होता। साथ ही यह भी कहा गया कि आवेदक के विरुद्ध तीन मामलों का आपराधिक इतिहास दर्शाया गया है, तथापि उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उक्त सभी मामलों में वह सामान्य प्रकृति के अपराधों में संलिप्त बताया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक प्रकरण में आवेदक को जमानत प्राप्त है, अन्य प्रकरण में उसे धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत नोटिस दिया गया है तथा वाद अपराध संख्या 955/2011 में उसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महारौनी, जनपद ललितपुर द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है।
5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक द्वारा मृतक को प्रताड़ित किया जाता था तथा उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की गई। मृतक से अवैध धन की मांग

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की जाती थी तथा भुगतान न करने पर उसे एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत झूठे मुकदमे में फँसाने की धमकी दी जाती थी। दिनांक 15.01.2026 को आवेदक द्वारा मृतक को शराब पिलाकर उसके साथ मारपीट एवं गाली-गलौज की गई, जिसके कारण मृतक मानसिक तनाव में आ गया और दिनांक 17.01.2026 को आत्महत्या कर ली। यह भी कहा गया कि आवेदक का आपराधिक इतिहास समान प्रकृति के मामलों से संबंधित है, अतः उसे कोई राहत प्रदान न की जाए।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत, प्रथम दृष्टया न्यायालय के समक्ष यह प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों से भारतीय न्याय संहिता की धारा 45 में परिभाषित दुष्प्रेरण का अपराध परिलक्षित नहीं होता। आरोप है कि आवेदक एवं सह-अभियुक्तों ने मृतक को शराब पिलाई और उसके साथ मारपीट की, किन्तु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले के फंदे के निशान के अतिरिक्त कोई बाह्य चोट नहीं पाई गई है। साथ ही, कथित घटना दिनांक 15.01.2026 की है, जबकि आत्महत्या दिनांक 17.01.2026 को की गई। आवेदक ने यह भी कहा है कि उसे ग्राम गुटबंदी के कारण झूठा फँसाया गया है। आवेदक के आपराधिक इतिहास का भी समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है तथा वह पूर्व में दोषसिद्ध नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, प्रथमदृष्टया न्यायालय का मत है कि आवेदक के विरुद्ध आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध स्थापित नहीं होता।

7. उपर्युक्त को देखते हुए, आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

8. यदि आवेदक – ललित कुमार को उक्त वाद अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे

तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, इस शर्त पर कि वह संबंधित थाना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रभारी/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के निजी मुचलके एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन—

- (i) आवेदक पुलिस अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार पूछताछ हेतु उपलब्ध रहेगा;
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या पुलिस के समक्ष सत्य प्रकट करने से विरत हो;
- (iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- (iv) आवेदक अभियोजन साक्षियों को प्रभावित/डराने का प्रयास नहीं करेगा।

9. उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु हैं तथा वाद के गुण-दोष पर अंतिम मत नहीं मानी जाएंगी।

दिनांक: 24 मार्च, 2026

कीर्ति

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)